<u>वित्तीय स्वीकृति</u>

<u>संख्या- ६/२०२०/1308/52-3-2020-बजट(13)/2018</u>

प्रेषक,

इच्छाराम
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 15 दिसम्बर, 2020

विषयः- केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक 10.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शासन के पत्र दिनांक 17.04.2020 द्वारा निर्गत रू0 1416.67 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू0 1397.05 लाख का व्यय हो गया है तथा जनपद बलिया एवं गौतमबुद्धनगर को आवंटित कुल धनराशि रू0 19.62 लाख व्यय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शासन के पत्र दिनांक 13.08.2020 द्वारा निर्गत द्वितीय किश्त रू0 500.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू0 41.19 लाख का व्यय हो गया है, जिसे निदेशालय के पत्र दिनांक 23.04.2020 एवं 19.08.2020 द्वारा जनपदों को आवंटित कर दिया गया है। जबकि कोषवाणी पोर्टल पर दिनांक 09.11.2020 को प्रदर्शित विवरण के अनुसार रू0 1438.24 लाख का व्यय प्रदर्शित हो रहा है। अतः व्यय के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 के प्रस्तर-2(6) में दी गयी व्यवस्थानुसार तथा केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को शासनादेश सं0-2817/52-3-16-सा(8)/14, दिनांक 28.11.2016 में निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश के भुगतान हेतु आय व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू0 8500.00 लाख में से निर्गत प्रथम किश्त रू0 1416.67 लाख एवं द्वितीय किश्त रू0 500.00 लाख निर्गत की जा चुकी है। अवशेष धनराशि रू0 6583.33 लाख में से तृतीय किश्त (दो माह) रू0 916.67 लाख (रू0 नौ करोड़ सोलह लाख सरसठ हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(१) राज्य सरकार द्वारा मानदेय के रूप में दिये जाने वाले अतिरिक्त अनुदान का भुगतान केवल उन्हीं मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को किया जायेगा जो कि भारत सरकार की ''मदरसा आधुनिकीकरण योजना'' से आच्छादित है तथा पूर्व में भारत सरकार द्वारा मदरसे में कार्यरत आधुनिक विषयों के मानदेय का भुगतान किया गया है।

(२) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(३) किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(४) मानदेय के रूप में राज्य सरकार द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि संबंधित शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

(५) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि का भुगतान की जायेगी।

(६) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को 31.01.2021 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(७) धनराशि का आवंटन (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(८) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब वह मदरसे के संबंध में नियमो/शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

(९) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(१०) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है तथा धनराशि व्यय करने में भारत सरकार की समस्त संगत गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(११) उक्त धनराशि का उपयोग वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 तथा 11.04.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा -800-अन्य व्यय-02-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-4-929/दस-2020, दिनांक-12 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

<u>संख्या-1308(1)/52-3-20-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5-वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3 ।
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
7-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(इच्छाराम)
अनु सचिव